न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—414/2016/223 (2016/00414)

1. रणजीत सिंह पुत्र नानू, जाति जाट, नि0 ग्राम सरमालिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
2. सचिव जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई—दिल्ली ।
3. सचिव परिवहन मंत्रालय, राज0 सरकार जयपुर ।
4. अधीक्षण अभियंता, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अजमेर ।
5. भंवरलाल पुत्र स्व0 हेमा,
6. जीवण पुत्र स्व0 ओंकार,
   निवासी ग्राम सरमालिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 27.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 18/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 4.
3. रेस्पो0 संख्या 2, 3 व 5 से 6 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 10.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद इस आशय का पेश किया कि पटवार हल्का सरमालिया में स्थित खसरा नंबर 1427 रकबा 2 बिस्वा वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग का चाह है जो पूर्व में वादी के कब्जे की व उसके पिता की जर—खरीद मौरूसी चाह है जिससे वादी अपने खेतों की सिंचाई करता आ रहा है किन्तु उपरोक्त चाह भूमि को बिना किसी अधिग्रहण के वादी के खाते से हटाकर बिना कोई मुआवजा दिये प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दिया गया । अतः वाद डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी चाह का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा पेश

किया गया तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी भारत सरकार जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय जयपुर में अवाप्त हो चुकी है जिससे वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः वाद खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 27.6.2016 द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 1427 रकबा 2 बिस्वा को कभी भी अधिग्रहण नहीं किया गया बल्कि बिना अधिग्रहण किये ही उपरोक्त वर्णित आराजी को रेस्पो0/प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि बिना अधिग्रहण किये इस प्रकार का इंद्राज पूर्णतया विधिविरूद्ध है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित आराजी को अधिग्रहित भूमि मानकर वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते दिनाक 26.11.2012 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर दिया तथा केवल राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया तथा उसके उपरांत उक्त प्रकरण को वास्ते तनकियात कायम हेतु नियत कर दिया गया था परन्तु वाद में तनकियात कायम करने से पूर्व ही दिनांक 27.6.2016 को उक्त पत्रावली को लोक अदालत में रखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के आधार पर वाद को खारिज कर दिया जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होकर निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि जब विवादित आराजी अधिग्रहण नहीं की गई तथा बिना अधिग्रहण किये विवादित आराजी का इंद्राज प्रतिवादीगण के नाम किये जाने से उक्त गलत इंद्राज को दुरूस्त किये जाने के संबंध में सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित आराजी अधिग्रहण के संबंध में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत प्राथमिक अवस्था में वाद तभी खारिज किया जा सकता है जब दावे को पढ़ने मात्र से ऐसा प्रतीत होता हो कि दावा बार्ड बाई लॉ है परन्तु किसी के जवाब से अथवा किसी के प्रार्थना पत्र से इस प्रकार खारिज नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वादी के वाद को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को खारिज किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं 4ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी भारत सरकार जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय जयपुर में अवाप्त हो चुकी है तथा उक्त अवाप्ति की क्रम में वर्तमान में विवादित भूमि जहाजरानी व

परिवहन मंत्रालय, जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । विवादित भूमि अवाप्त होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षत्राधिकार नहीं है। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदीं संवत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 331 के खसरा नंबर 1427 भूमि जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज रिकार्ड है । विवादित भूमि अवाप्ति की जाकर जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज की गई है जिससे राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रवितादीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल्क्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर